राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2011/2553 दिनांकः– 21/1/2011

उप आवासन आयुक्त,
वृत–............................
राजस्थान आवासन मण्डल,
....

आवासीय अभियन्ता,
खण्ड– ....
राजस्थान आवासन मण्डल,
....

विषयः– संस्थानिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा संस्थानिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संस्थाओं द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के संबंध में दिनांक 19.1.2011 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न निर्णय लिये गये:–

1. जिन संस्थाओं द्वारा आवासन मण्डल के आवंटन पत्र के अनुसार मांग राशि आज दिनांक तक जमा नहीं कराई गई है, उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2011 तक मांग राशि मय ब्याज जमा कराने हेतु पूर्व में जारी सभी नोटिसों का संदर्भ देते हुए अन्तिम रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किया जावें। यदि 28 फरवरी 2011 तक भी संस्था द्वारा मांग राशि मय ब्याज जमा नहीं करवाई जाती है तो 15 मार्च 2011 तक ऐसे संस्थाओं के भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं इसकी सूचना 25 मार्च 2011 तक मुख्यालय को भिजवाई जावें।

2. जिन संस्थाओं द्वारा आवंटन पत्र की मांग राशि जमा करा दी गई है, किन्तु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है तो संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा उन्हें 28 फरवरी 2011 तक भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु 31 जनवरी 2011 तक नोटिस दिये जावे। यदि 28 फरवरी 2011 तक भी संस्था द्वारा कब्जा नहीं लिया जाता है तो 15 मार्च 2011 तक ऐसी संस्थाओं के भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं इसकी सूचना 25 मार्च 2011 तक मुख्यालय भिजवाई जावें।

3. जिन संस्थाओं द्वारा भूमि का भौतिक कब्जा तो प्राप्त कर लिया है, किन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है, उन संस्थाओं को संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा 31 जनवरी 2011 तक नोटिस दिये जावें तथा उन्हें 31 दिसम्बर 2011 तक निर्माण प्रारम्भ करने एवं दिनांक 31.12.2013 तक निर्माण पूर्ण कर जिस प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन हुआ है, उसके उपयोग हेतु संस्था का संचालन प्रारम्भ किये जाने बाबत निर्देशित किया जावे।

...2...

4. उप आवासन आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन संस्थाओं को नोटिस दिये गये हैं, उन्होंने 31 दिसम्बर 2011 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है, यदि किसी संस्था द्वारा उक्त अवधि तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो 15 जनवरी 2012 तक ऐसे आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाये।

5. जिन संस्थाओं द्वारा भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर भवन का निर्माण भी करवा लिया गया है, किन्तु संस्था का संचालन नहीं किया जा रहा है या भवन का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रयोजन के विपरीत किया जा रहा है तो उन्हें दिनांक 31.12.2011 तक आवंटी संस्था के स्वयं द्वारा संचालन किये जाने के लिए दिनांक 31.1.2011 तक नोटिस जारी करें। यदि दिनांक 31.12.2011 तक आवंटी संस्था द्वारा स्वयं जिस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई है उसी प्रयोजनार्थ स्वयं आवंटी संस्था द्वारा भूमि/भवन का उपयोग प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो 15 जनवरी 2012 तक ऐसे आवंटन को निरस्त किया जाना सुनिश्चित करते हुए इसकी सूचना 25 जनवरी 2012 तक मुख्यालय भिजवाई जावें।

सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सभी संस्थाओं को संलग्न प्रोफार्मा (प्रारूप परिशिष्ठ–1 से 4) में 31 जनवरी 2011 तक रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त सभी नोटिस कोरियर व विशेष वाहक से भी भिजवायें जावें व नोटिसों की तामील सुनिश्चित कर तामीली रिपोर्ट संस्था की फाइल में लगाना सुनिश्चित करें।

सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार की संस्थाओं के संबंध में उक्त कार्यवाही कराकर 15 फरवरी 2011 तक की गई कार्यवाही की संस्थावार रिपोर्ट मांग राशि के विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें व आगामी प्रत्येक 15 तारीख तक प्रगति की माहवार रिपोर्ट मुख्यालय में प्रस्तुत करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही को गम्भीरता से लिया जाकर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नः– नोटिस के प्रारूप परिशिष्ठ–1 से 4

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. वरिष्ठ निजी सहायक–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रारूप परिशिष्ठ–1

राजस्थान आवासन मण्डल, ...

क्रमांकः– प– / उप आ.आ. / भू.आ. / शहर......... / 2011 / दिनांकः–

रजिस्टर्ड एडी

....

....

....

नोटिस

आवासन मण्डल की "सम्पत्ति आवंटन समिति" की बैठक दिनांक .... के बिन्दु संख्या .... के अन्तर्गत आपकी संस्था को मण्डल की आवासीय योजना .... शहर .... में .... प्रयोजनार्थ .... वर्ग मीटर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था, जिसका आवंटन पत्र क्रमांक .... दिनांक .... जारी किया गया तथा इसके अनुसार भूमि की मांग राशि रु. .... दिनांक .... तक मण्डल कार्यालय में जमा करवाई जानी थी। मण्डल के पत्र क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा मांग राशि रु. .... जमा कराने हेतु पुनः सूचित किया गया था, परन्तु अभी तक पूरी मांग राशि जमा नहीं करवाई गई है, जोकि आवंटन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से पुनः अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि दिनांक 28.2.2011 तक आवंटन पत्र की मांग राशि मय ब्याज के राशि रु. .... जमा करवाई जावें अन्यथा उक्त तिथि के पश्चात बिना किसी सूचना अथवा नोटिस के भूमि का आवंटन स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा तथा मण्डल के नियमानुसार संस्था द्वारा पूर्व में भूमि के पेटे जमा करवाई गई 2 प्रतिशत राशि रु. .... जब्त कर ली जायेगी, जिसके लिए संबंधित संस्था स्वयं जिम्मेवार होगी।

उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता

प्रारूप परिशिष्ठ–2

राजस्थान आवासन मण्डल, ...

क्रमांकः– प– / उप आ.आ. / भू.आ. / शहर......... / 2011 / दिनांकः–

रजिस्टर्ड एडी

....
....
....

नोटिस

आवासन मण्डल की ''सम्पत्ति आवंटन समिति'' की बैठक दिनांक .... के बिन्दु संख्या .... के अन्तर्गत आपकी संस्था को मण्डल की आवासीय योजना .... शहर .... में .... प्रयोजनार्थ .... वर्ग मीटर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था, जिसका आवंटन पत्र क्रमांक .... दिनांक .... जारी किया गया तथा इसके अनुसार भूमि की मांग राशि रु. .... दिनांक .... तक मण्डल कार्यालय में आप द्वारा जमा करवा दी गई, किन्तु संस्था द्वारा आवासन मण्डल से भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया, जिसके लिए मण्डल के पत्र क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा संस्था को पुनः सूचित किया गया था, किन्तु संस्था द्वारा भूमि का भौतिक कब्जा आज तक भी प्राप्त नहीं किया गया है, जोकि आवंटन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। आवंटन की शर्तों के अनुसार संस्था द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त किया जाकर दो वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था।

अतः इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि दिनांक 28.2.2011 तक भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त करें, अन्यथा उक्त तिथि के पश्चात बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस के भूमि का आवंटन स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा तथा मण्डल के नियमानुसार संस्था द्वारा पूर्व में भूमि के पेटे जमा करवाई गई 2 प्रतिशत राशि रु. .... जब्त की जाकर शेष राशि बिना ब्याज के चैक के माध्यम से संस्था के उल्लेखित पते पर भिजवा दी जायेगी, जिसके लिए संबंधित संस्था स्वयं जिम्मेवार होगी।

उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता

<u>प्रारूप परिशिष्ठ–3</u>

राजस्थान आवासन मण्डल, ...

क्रमांकः– प–/उप आ.आ./भू.आ./शहर......../2011/ दिनांकः–

<u>रजिस्टर्ड एडी</u>

....

....

....

<u>नोटिस</u>

आवासन मण्डल की ''सम्पत्ति आवंटन समिति'' की बैठक दिनांक .... के बिन्दु संख्या .... के अन्तर्गत आपकी संस्था को मण्डल की आवासीय योजना .... शहर .... में .... प्रयोजनार्थ .... वर्ग मीटर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था, जिसका आवंटन पत्र क्रमांक .... दिनांक .... जारी किया गया तथा उक्त भूमि का भौतिक कब्जा संस्था द्वारा दिनांक .... को प्राप्त कर लिया गया था। संस्था द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, जिसके लिए मण्डल के पत्र क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा संस्था को पुनः सूचित किया गया था, किन्तु फिर भी उक्त भूमि पर आज तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, जोकि आवंटन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि मण्डल द्वारा .... प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर दिनांक 31.12.2011 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक भवन निर्माण किया जाकर निर्मित भवन में .... (प्रयोजन के उपयोग) हेतु संस्था का संचालन स्वयं के स्तर से प्रारम्भ करें। यदि आपके द्वारा दिनांक 31.12.2011 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस के भूमि का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाकर आवंटित भूमि का कब्जा आवासन मण्डल द्वारा लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए संबंधित संस्था स्वयं जिम्मेवार होगी।

उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता

राजस्थान आवासन मण्डल, ...

क्रमांकः– प–/उप आ.आ./भू.आ./शहर........./2011/ दिनांकः–

रजिस्टर्ड एडी

....

....

....

नोटिस

आवासन मण्डल की ''सम्पत्ति आवंटन समिति'' की बैठक दिनांक .... के बिन्दु संख्या .... के अन्तर्गत आपकी संस्था को मण्डल की आवासीय योजना .... शहर .... में .... प्रयोजनार्थ .... वर्ग मीटर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था, जिसका आवंटन पत्र क्रमांक .... दिनांक .... जारी किया गया तथा उक्त भूमि का भौतिक कब्जा संस्था द्वारा दिनांक .... को प्राप्त किया जाकर भवन निर्माण भी करवा लिया गया है, किन्तु उक्त निर्मित भवन का उपयोग .... प्रयोजन हेतु नहीं किया जा रहा है अथवा बन्द पड़ा है, जिसके लिए मण्डल के पत्र क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा पुनः सूचित किया जाकर संस्था संचालन हेतु निर्देशित किया गया है, किन्तु जिस प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन किया गया है, उस प्रयोजन के लिए संस्था द्वारा भूमि का उपयोग संस्था द्वारा आज तक नहीं किया जा रहा है, जोकि आवंटन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मण्डल द्वारा जिस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई है, उस भूमि पर उसी प्रयोजनार्थ निर्मित भवन का संचालन दिनांक 31.12.2011 तक आपकी संस्था स्वयं के द्वारा निर्धारित प्रयोजन हेतु प्रारम्भ किया जावें अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस के भूमि का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाकर आवंटित भूमि का कब्जा आवासन मण्डल द्वारा लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी, साथ ही निर्मित भवन का भी अधिग्रहण किया जायेगा, जिसके लिए संबंधित संस्था स्वयं जिम्मेवार होगी।

उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता